

कार्यालय नगरपालिका परिषद टाण्डा जनपद रामपुर।

पत्रांक- 482

/न0पा0टाण्डा/2018

दिनांक 12 अक्टूबर 2018

अति अल्पकालीन निविदा सूचना

नगरपालिका परिषद टाण्डा जनपद रामपुर को आदर्श न0यो0/राज्य वित्त आयोग/14 वां वित्त आयोग के अर्न्तगत उपलब्ध धनराशि से निम्न निर्माण कार्य एवं सामग्री आपूर्ति कराये जाने बाबत वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु हेतु नगरपालिका के पंजीकृत ठेकेदारो /सप्लायर हेतु पंजीकृत फर्मो से निविदाये दिनांक 22.10.2018 को अपरान्ह 2.00 बजे तक आमत्रित की जाती है जो उसी दिन सायं 4.00 बजे निविदादाताकी उपस्थिति/अनुपस्थिति में खोली जाएगी। 5.00 लाख से अधिक की निविदाये अपर जिलाधिकारी प्रशासन / सिटी मैजिस्ट्रेट रामपुर के समक्ष खोली जाएगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 20.10.2018 को अपरान्ह 3.00 बजे तक निर्धारित मूल्य जमा कर कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार सक्षम अधिकारी नगरपालिका परिषद टाण्डा में निहित होगा। निविदा खोले जाने वाली दिनांक को सार्वजनिक अवकाश अथवा विषम परिस्थिति होने की दशा में निविदा अगले कार्य दिवस में खोली जाएगी।।

क्र0सं 0	सामग्री का विवरण (आदर्श नगर यो0 से)	मात्रा	प्राकलन की अनुमानित धनराशि	धरोहर राशि 2 प्रतिशत	निविदा मूल्य	कार्य अवधि
1	वार्ड नं0 7 मोतीनगर में मोबाईल टावर वाले जलीस खों कमकान से 20 वट्टू के मकान तक सीसी टाईल्स रोड व नाली कार्य	-	302000.00	6040.00	300-जीएसटी 36-स्टे0चार्ज 200-कुल 536-रु0	01 माह
2	राज्य वित्त आयोग वार्ड नं0 7 सादिर के मकान से फिदाउरहमान कमकान तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली कार्य।	-	196800.00	4000.00	200-जीएसटी 36-स्टे0चार्ज 200-कुल 436-रु0	01 माह
	14वां वित्त आयोग से					
3	स्टेनलेस स्टीन वाटर टैंकर क्षमता 2000 लीटर जीएसटी अतिरिक्त	2 अदद	393200.00	8000.00	400-जीएसटी 72-स्टे0चार्ज 200-कुल 672-रु0	01 माह
4	सिनटैक्स मेक पोर्टेबल टॉयलेट आरएमटीबी-09000-01 डिमेंशन 1.0757-0.91 मी0-2.0 मी0 जीएसटी अतिरिक्त	5 अदद	310000.00	6200.00	300-जीएसटी 54-स्टे0चार्ज 200-कुल 554-रु0	01 माह
5	सीवेज संक्शन मशीन सीवेज टैंक 2 व्हीलर क्षमता 400 लीटर इनक्लूड जीएसटी	01 अदद	724784.00	14500.00	700-जीएसटी 126-स्टे0चार्ज 200-कुल 1026-रु0	01 माह

शर्तः-

- 1- निर्धारित मानको के अनुसार आपूर्ति/निर्माण कार्य न कराये जाने अथवा अनुबन्ध की किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर बिल में से धनराशि की कटौती तथा जमानत धनराशि जब्त करने एवं अनुबन्ध निरस्त करने का अधिकार अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष नगरपालिका परिषद टाण्डा में निहित होगा।
- 2- किसी भी विवाद की स्थिति में अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष नगरपालिका परिषद टाण्डा का निर्णय अंतिम होगा और सम्बन्धित फर्म को मान्य होगा।
- 3- किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र जनपद रामपुर होगा।
- 4- फर्म / ठेकेदार द्वारा आपूर्ति / निर्माण कार्य कराये जाने के पश्चात बिल प्रस्तुत करने पर पालिका की आर्थिक

- स्थिति अनुसार ही किया जाएगा। निविदादाता का जीएसटी में पंजीकरण आवश्यक है।
- 5- अपठनीय/अस्पष्ट होने पर निविदा निरस्त कर दी जाएगी।
 - 6- सरासरी निविदा मान्य न होगी।
 - 7- कम्पनी / टेकेंदार को किसी विभाग/राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा ब्लैक लिस्ट घोषित नहीं होना चाहिए। ऐसी फर्म की निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा। तथा तथ्यों को छुपाने के फलस्वरूप उसकी जमानत धनराशि जब्त कर ली जाएगी।
 - 8- आपूर्ति सामग्री हेतु फर्म को वारण्टी/गारण्टी का उल्लेख करना आवश्यक होगा।

(दीपक कुमार शाह)
अवर अभियन्ता

(राजेश सिंह राना)
अधिशायसी अधिकारी
नगरपालिका परिषद टाण्डा

(महनाज जहाँ)
अध्यक्ष
जनपद रामपुर।

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1.अपस जिलाधिकारी (प्रशासन), रामपुर
2. सम्पादक दैनिक आज मुरादाबाद को इस आशय से कि वह उक्त सूचना का कम से कम स्पेस में सुस्पष्ट स्थान पर प्रकाशन उपरान्त भुगतान हेतु अपना बिल प्रस्तुत करें।
3. प्रभारी एन0आई0सी0 रामपुर को सीडी सहित इस अनुरोध के साथ कि उक्त सूचना का अपलोड करने का कष्ट करें।
- 4.नजारत नोटिस बोर्ड पर चरपा हेतु।
- 5.कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चरपा हेतु

अधिशायसी अधिकारी